राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी/रिफण्ड प्रार्थना पत्र संख्या– 2699/2016/बीकानेर

श्री कृष्ण कुमार पाण्डे पुत्र श्री श्रीकृष्ण पाण्डे,
निवासी – हनुमान हत्था, जिला बीकानेर। .....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार
जरिये उप पंजीयक, बीकानेर। .....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री बद्रीप्रसाद,
अभिभाषक। ..... प्रार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक। ..... अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 21.03.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक बीकानेर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के पत्र क्रमांक 3630 दिनांक 22.09.2016 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का रिफण्ड आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2016 को अस्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक सम्पत्ति का क्रय करने के लिये श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि दौलतराम, बीकानेर से सोदा किया, एवं उक्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र पंजीयन करवाने के लिये प्रार्थी ने दिनांक 28.01.2015 को 20,000–20,000 रूपये के दो स्टाम्प क्रय किये, परन्तु उक्त सोदा निरस्त हो जाने कारण प्रार्थी द्वारा उक्त उपयोग में ना आये स्टाम्पस् का रिफण्ड प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र कलक्टर मुद्रांक के समक्ष दिनांक 11.08.2016 को मूल स्टाम्पस् राशि रू0 40,000/– संलग्न कर प्रस्तुत किये, परन्तु कलक्टर मुद्रांक द्वारा उक्त स्टाम्पस् को अवधि बाधित होना मानते हुए, आदेश दिनांक 22.09.2016 द्वारा उक्त स्टाम्पस् मय दस्तावेजात अस्वीकार करते हुए प्रार्थी को लौटा दिये। कलक्टर मुद्रांक के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी रिफण्ड प्रार्थना पत्र मूल ई–स्टाम्पस, शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त ई–स्टाम्पस् का रिफण्ड दिलवाया जावे।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया व अप्रार्थी राज्यपक्ष की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया गया कि उक्त स्टाम्पस् दिनांक 28.01.2015 को क्रय किये गये थे एवं उक्त स्टाम्पस् का उपयोग नहीं होने से

लगातार.....2

मुद्रांक अधिनियम की धारा 63ए के प्रावधानों के तहत् रिफण्ड हेतु आवेदन किया, किन्तु कलक्टर मुद्रांक ने अपने आदेश दिनांक 22.09.2016 द्वारा रिफण्ड आवेदन पत्र को अवधिपार मानते हुए अस्वीकार करने में विधिक भूल की है। कलक्टर मुद्रांक ने मनमाने तौर पर एवं प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रस्तुत उक्त स्टाम्पस् को रिफण्ड योग्य नहीं मानकर आदेश पारित किया है जो कि कानूनन गलत है। प्रार्थी के अभिभाषक का निवेदन था कि कार्यवाही सद्भावी है अतः उक्त ई–स्टाम्पस् रिफण्ड दिलवाने की प्रार्थना स्वीकार की जावे।

6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने रिफण्ड आवेदन समय सीमा से बाहर होने के कारण रिफण्ड देय नही होना मानते हुये निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. प्रार्थी ने स्टाम्पस् के माध्यम से रूपये 40,000/– जमा करवाये हैं। प्रार्थी ने नियमानुसार स्टाम्पस् क्रय किये है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जमा स्टाम्प के रिफण्ड हेतु प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 59(i)(ii) का अवलोकन करना समीचीन है :–

59 . Application for relief under section 58 when to be made :-

The application for relief under section 58 shall be made within the following periods, that is to say, —

(i) in the case mentioned in clause (d) (vi), within two months of the date of the instrument;

(ii) in the case of a stamped paper on which no instrument has been executed by any of the parties thereto within six months after the stamp has been spoiled;

(iii) in the case of a stamped paper in which an instrument has been executed by any of the parties thereto, within six months after the date of the instrument, or, if it is not dated, within six months after the execution thereof by the person by whom it was first or alone executed;

Provided that, —

(a) when the spoiled instrument has been for sufficient reasons sent out of India, the application may be made within six months after it has received back in India;

(b) when, from unavoidable circumstances, any instrument for which another instrument has been substituted cannot be given upto be cancelled within the aforesaid period, the application may be made within six months after the date of execution of the substituted instrument.

विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी ने उपयोग में नहीं आने का कारण यह बताया है कि प्रार्थी द्वारा उनकी सोदा निरस्त होने से स्टाम्पस् उपयोग में नहीं आये। उक्त कारण से प्रार्थी द्वारा जमा करवायी गयी राशि रूपये 40,000/– अक्षरे चालीस हजार रूपये मात्र के स्टाम्पस् को काम में नहीं लिया जा सका। प्रार्थी ने उक्त कथनों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत जवाब धारा 59 के तहत स्वीकार्य नहीं है। अतः प्रार्थी ने रिफण्ड हेतु आवेदन 6 माह की देरी से प्रस्तुत किया। अतः मुद्रांक अधिनियम 59(i)(ii) के तहत् स्टाम्पस् पर रिफण्ड (Time Barred) कालातीत हो जाने के कारण देय नहीं होगा।

लगातार.....3

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य